FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम अलवर

उनवान रोहिताश कुमार सैनी बनाम एस.एच.ओ. लक्ष्मणगढ़

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट मुकदमा नम्बर 15/47/2025 दा0 नंबर 02.06.2025

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09.07.2025 | पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-14-GR-8564 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ से अभिशंषा/ टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1967 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन संख्या RJ-14-GR-8564 के संबंध में अनुसंधान किया जा चुका है। श्रीमान द्वारा नियमानुसार वाहन सुपुर्दगी दिया जावे तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा दो पृथक–पृथक तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी लक्ष्मणगढ़ को जब्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-14-GR-8564 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>अलवर | |